नियु० ७४

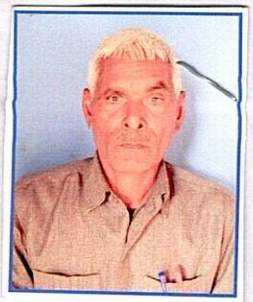

प्रेषक प्रबन्धक
आर०बी० हा० सै० स्कूल
बिजौरा स्वर्गद्वारी एटा

प्रापक श्री उदयवीर सिंह
ग्रा० ढकपुरा विजयी
पो० तरगवां
जि० एटा

पत्रांक :— नियु० / 12 / 2000-01 दिनांक 01-8-2000

विषय- स० अ० पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में :—

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपकी नियुक्ति इस विद्यालय में दिनांक 01-08-2000 से की जाती है।

अतः आप अपना कार्य भार निर्धारित तिथि तक ग्रहण करलें। यदि आप उक्त तिथि तक अपना कार्य भार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी जिसका उत्तरदायित्व आपका होगा।

प्रतिलिपि - जि० वि० निरीक्षक एटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह० प्रबन्धक
Manager
R.B. Hr. Sec. School
Bijoura Swargdwari, Etah

प्रधानाचार्य
आर०बी०इ०का० बिजौरा स्वर्गद्वारी
(काशीराम नगर)

प्रधानाचार्य
आर०बी० इन्टर कालेज
बिजौरा स्वर्गद्वारी, कासगंज

"नियुक्ति प्रार्थनापत्र"

सेवा में,

श्रीमान् प्रबन्धक

आर० बी० इण्टर कालेज

बिजौरा स्वर्गद्वारी एटा

दिनांक - 06-8-20

महोदय,

निवेदन यह है कि आपके द्वारा दी गयी सहा
अध्यापक पद पर नियुक्ति की सूचना के अनुस
विद्यालय में कार्य भार ग्रहण करने हेतु प्रार्थना
पत्र प्रेषित करता हूँ। इसको स्वीकार करने की कृ
करें। आपकी महान कृपा होगी।

प्रार्थी

उदयवीर सिंह

ग्रा० - हकपुरा

पो० तरगौला

जि० - एटा

पिन - 207249

मेरे द्वारा नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(Signature)

Principal

R.B. Inter College

Bijaur Swarg Dwari (Etah)

ह० सालेगाम

Manager

R.B. Inter College

Bijoura Swargdwari, Etah

Attested

(Signature)

Principal

R.B. Inter College

Bijaura Swargdwari ...sganj

हाई स्कूल [illegible]

जनता इण्टर कालेज, [illegible]-अलीगंज (एटा)

संख्या [illegible] दिनांक 13-6-68

परिषद द्वारा संचालित १९६८ की हाई स्कूल परीक्षा में संस्थागत/[illegible] परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित [illegible]

अनुक्रमांक [illegible] द्वारा प्राप्तांक का विवरण।

वर्ष का [illegible]

परीक्षार्थी [illegible] गए विषयों के नाम	विषय के [illegible] निर्धारित [illegible]	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	चतुर्थ प्रश्न पत्र	योग	क्रियात्मक विषय प्रथम	क्रियात्मक विषय द्वितीय	क्रियात्मक विषय [illegible]	[illegible] योग	परीक्षाफल इस स्तम्भ की अनावश्यक प्रविष्टयाँ काट दी जाएँ
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
(१) [illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]		[illegible]					उत्तीर्ण श्रेणी [illegible]
(२) [illegible]	[illegible]	[illegible]	33			[illegible]					विशेष योग्यता ...
											[illegible]
(३) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]	अनुत्तीर्ण ...
(४) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]	पूरक परीक्षा का अधिकारी है
(५) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]	स्वतः परिनिरीक्षण का
(६)											अधिकारी है —

[illegible] (अंकों में) [illegible]

आवश्यक सूचना

१—प्रत्येक विषय का न्यूनतम उत्तीर्णांक [illegible] प्रतिशत है। जिन विषयों में [illegible] उनमें परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिये योग [illegible] प्राप्तांक योग में [illegible] एवं क्रियात्मक परीक्षा के लिये न्यूनतम उत्तीर्णांक विवरण पत्रिका (Prospectus) में निर्धारित हैं [illegible]

२—विशेष योग्यता पाने के लिए किसी विषय के सम्पूर्ण योग [illegible] अलग-अलग न्यूनतम अंक [illegible] अनिवार्य है।

३—प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए सम्पूर्ण [illegible] प्रतिशत अङ्क प्राप्त करना आवश्यक है।

४—यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा वह केवल एक [illegible] से कम [illegible] ६०, ४५ एवं [illegible] प्रतिशत होना चाहिए। [illegible] अनुत्तीर्ण है तो वह [illegible] में पूरक परीक्षा का अधिकारी है।

[illegible] एक विषय में २८% [illegible] अनुसार [illegible] के अधिकारी होंगे के साथ ही साथ स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी होंगे। इनकी उत्तर पुस्तकों का अंकानुसंधान निःशुल्क होगा।

६—जो परीक्षार्थी पूरक परीक्षा के अधिकारी होते हुए भी स्वतः परिनिरीक्षण [illegible] अधिकारी नहीं होंगे तथा अनुच्छेद (४) में उल्लिखित परीक्षार्थियों [illegible] में नहीं आते हैं वे यदि चाहें तो शुल्क देकर अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं का परिनिरीक्षण [illegible] है। इसके लिए वे [illegible] विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा केन्द्र-व्यवस्थापक से निर्धारित आवेदन-पत्र [illegible] तथा उसकी पूर्ति करके निर्धारित शुल्क [illegible] सहित १५ जुलाई, १९६८ तक [illegible] कार्यालय भेजें। [illegible] तिथि के पश्चात् ऐसे आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायगा। यदि परिनिरीक्षण के लिए निर्धारित आवेदन पत्र उपलब्ध न हो सकें, तो सादे कागज पर ही अपना पूरा विवरण देते हुए निर्धारित शुल्क के चालान के साथ १५ जुलाई, १९६८ तक प्रार्थना पत्र प्रषित भेज देना चाहिये।

७—परिनिरीक्षण के फलस्वरूप यदि किसी परीक्षार्थी का परीक्षाफल प्रभावित होता है तो उसकी सूचना यथा समय सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा केन्द्र-व्यवस्थापक को प्रेषित की जाती है, जिससे वे तुरन्त सम्बन्धित परीक्षार्थी को सूचना दे सकें। शुल्क देकर परिनिरीक्षण कराने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा-फल में यदि कोई परिवर्तन न हुआ तो इसकी सूचना उन्हें उनकी उत्तर-पुस्तिकों का परिनिरीक्षण ३० नवम्बर के अन्त तक हो जाने के बाद ही भेजी जायगी। इस बीच कोई पत्र व्यवहार परिषद कार्यालय से न करें क्योंकि इस सम्बन्ध में उन्हें कोई उत्तर देना सम्भव न हो सकेगा।

८—परिनिरीक्षण में अधिक समय लगने की सम्भावना है, अतः सम्बन्धित परीक्षार्थी उसके परिणाम के लिए प्रतीक्षा न करें। यदि वे संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययन करना चाहते हों तो सम्बन्धित विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लें अथवा पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकारी [illegible] हो जायें। यदि [illegible] आगामी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहें तो निर्धारित तिथि तक परीक्षा-[illegible] पर अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत [illegible]।

९—अङ्क-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि व्यक्तिगत परीक्षार्थी को मांग तथा शुल्क देने पर [illegible] पर परिषद कार्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। [illegible] शुल्क उत्तर प्रदेश सरकारी कोषागार में "७७ शिक्षा—अ—माध्यमिक शिक्षा—१—[illegible]—(२)—बोर्ड की परीक्षायें" के [illegible] जमा कर [illegible] कोषपत्र को आवेदन-पत्र के साथ भेजें। एक बार जमा की हुई अथवा निर्धारित शुल्क से अधिक [illegible] धनराशि लौटाई नहीं जायेगी।

१०—वे परीक्षार्थी जो प्रथम प्रयास में ७०% या उससे अधिक अङ्क प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हैं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (National Merit Scholarship) के लिए निर्धारित आवेदन पत्र सम्बन्धित प्रधानाचार्यों से प्राप्त कर सभी प्रविष्टियों को भली-भांति भरने के उपरान्त [illegible] मान्यता प्राप्त [illegible] कालेज की अगली कक्षा में प्रवेश लेने के बाद वहाँ के प्रधानाचार्य के माध्यम से शिक्षा निदेशालय अर्थ—३ माध्यमिक अनुभाग [illegible]।

११—[illegible] परीक्षार्थी जो प्रथम प्रयास में ५० प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हैं, राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति (National Loan Scholarship) [illegible] हैं यदि उनके माता-पिता की सम्पूर्ण को वार्षिक आय ६,००० रु० से अधिक नहीं है। इसके लिए निर्धारित आवेदन-पत्र एवं नियमावली की प्रतियाँ [illegible] जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त की जा सकती है तथा कथित आवेदन-पत्र शिक्षा निदेशक कार्यालय एक—(२) विभाग को परीक्षाफल घोषित होने अथवा उक्त योजना का समाचार-पत्रों में प्रकाशित और आकाशवाणी द्वारा प्रसारित होने अथवा परीक्षाफल घोषित होने के (जो भी बाद में हो) ३० दिन के भीतर पहुँचाना आवश्यक है।

१२—छात्रवृत्ति प्रदान करने का कार्य शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा सम्पन्न होता है। अतः इस सम्बन्ध में [illegible] पत्र व्यवहार सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद से [illegible] न किया जाय।

नोट—(१) विषय अथवा किसी विषय के अंश में जिसमें न्यूनांक निर्धारित है तथा सम्पूर्ण प्राप्तांकों से निर्धारित न्यूनतम से कम होने पर उस प्राप्तांक को वृत्त के भीतर किया गया है।

(२) उपर्युक्त नियमों के अनुसार सम्बन्धित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया गया है। प्राप्तांक-विवरण प्राप्त होने पर यदि उनमें परीक्षाफल में कोई त्रुटि आत हो; तो तुरन्त ही विद्यालय के प्रधानाचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक से सम्पर्क स्थापित कर उसका निराकरण करा लें। परिषद कार्यालय [illegible] को [illegible] जांच के फलस्वरूप यदि कोई ऐसी त्रुटि ज्ञात होगी, तो उसकी सूचना तुरन्त ही प्रधानाचार्य/केन्द्र-व्यवस्थापक को दी जायगी और वे यथासमय [illegible] परीक्षार्थी को इसकी सूचना देंगे।

निरीक्षणकर्ता

[illegible] प्रधानाचार्य
[illegible] अलीगंज, (एटा)

~~23200~~

क्रम-संख्या

227639

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश

माध्यमिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश

हाई स्कूल परीक्षा, १९७८

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी/परीक्षार्थिनी, जिसका अभिलेखानुसार विवरण निम्नवत है, अप्रैल/मई, १९७८ की हाई स्कूल परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है ——×—— में विशेष योग्यता प्राप्त की है।

नाम उदयवीर सिंह

पिता का नाम श्री होती लाल

जन्म-तिथि पच्चीस सितम्बर उन्नीस सौ इकसठ (25-9-1961)

विद्यालय/केन्द्र का नाम जनता इण्टरमीडिएट कालेज, कौल्हा अलीगंज एटा

परीक्षा-विषय :—

१ [illegible]

२ [illegible] गणित/गणित/गृह-विज्ञान

३ संस्कृत

४ भूगोल

५ अर्थशास्त्र

६ ——×——

इलाहाबाद :

[illegible] जुलाई, १९७८ ई०।

(रघुनन्दन सिंह),
सचिव।

[signature]
प्रधानाचार्य
आर०वी०इ०का० बिजौरा स्वर्गद्वारी
(काशीराम नगर)

प्रमाणित
UVSingh

इण्टरमीडिएट परीक्षा, १९८० ई०

माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद

श्री गान्धी सार्वजनिक इण्टर कालेज, जैथरा (एटा)

24 JUL 1980

संख्या १६

दिनांक

संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी उदयवीर सिंह

अनुक्रमांक [illegible]

द्वारा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा, १९८० में विभिन्न विषयों में प्राप्त किये गये अंकों का विवरण

वर्ग [illegible]

परीक्षार्थी द्वारा लिये गए विषय	विषय के निर्धारित पूर्णांक	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	अनुयोग	क्रियात्मक	वाणिज्य प्रथम: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी	वाणिज्य प्रथम: टंकन लिखित	वाणिज्य प्रथम: टंकन क्रियात्मक	वाणिज्य द्वितीय (आशुलिपि हिन्दी/अं०): प्रथम प्रश्न पत्र	द्वितीय प्रश्न पत्र	अनुयोग	टंकण हिन्दी/अंग्रेजी: प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	चतुर्थ प्रश्न-पत्र		[illegible]
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७		
१— [illegible]	१००	८८	२६	२९	४३													[illegible]
२— संस्कृत	१००	४०	२४	२६	४०													[illegible]
३— भूगोल	१००	[illegible]	१९		२६	२३												[illegible]
४— अर्थ०	१००	९२	२६		(२९)													(२९)
५— शिक्षाशा०	१००	२३	२३		४६													[illegible]
६—																		

सम्पूर्ण प्राप्तांक शब्दों में तथा अंकों में दो सौ अट्ठारह मात्र २१८

परीक्षाफल प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी या अनुत्तीर्ण	कृपांक	विशेष योग्यता	यदि सम्मान सहित उत्तीर्ण है तो यहाँ उल्लेख कीजिये	क्या पूरक परीक्षा का अधिकारी है? यदि हाँ तो विषय	क्या निःशुल्क सांवीक्षा का अधिकारी है
तृतीय	४	×	×	×	×

नोट— प्राप्तांक के आधार पर परीक्षाफल का निर्णय ठीक हुआ है अथवा नहीं, इसकी जाँच परीक्षार्थी नीचे दिये नियमों के आधार पर स्वयं भी कर लें और [illegible] के लिए उत्तरदायी होंगे। परिषद् कार्यालय में जाँच के फलस्वरूप यदि कोई त्रुटि पाई जायगी तो उसकी सूचना तुरन्त ही प्रधानाचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक को दी जायगी और वे सम्बन्धित परीक्षार्थी को इसकी सूचना देंगे।

परीक्षाफल सम्बन्धी नियम

१—प्रत्येक विषय के न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ प्रतिशत हैं। जिन विषयों में क्रियात्मक परीक्षा होती है, उनमें लिखित तथा क्रियात्मक परीक्षा के लिए अलग अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित है।

२—उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक नहीं होने चाहिए। निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम होने पर प्राप्तांक वृत्त के भीतर किये जाते हैं।

३—किसी विषय में ७५ प्रतिशत अंक पाने पर विशेष योग्यता मिलती है, सम्पूर्ण योग का ७५ प्रतिशत प्राप्तांक होने पर सम्मान सहित उत्तीर्ण घोषित होता है।

४—प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक योग सम्पूर्ण निर्धारित अंकों का क्रमशः ६०, ४५ एवं ३३ प्रतिशत होना चाहिए।

५—यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा वह केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो वह उस विषय से पूरक परीक्षा का अधिकारी होगा।

६—पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी स्वतः संवीक्षा के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वे परीक्षार्थी जो केवल एक विषय में २८ प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अनुत्तीर्ण घोषित किये गये हैं वे पूरक परीक्षा के अधिकारी घोषित होने के साथ ही साथ [illegible] के अधिकारी होंगे। इनकी उत्तर-पुस्तकों का अंकानुसंधान निःशुल्क होगा।

बनाने वाले के हस्ताक्षर ....

जाँच कर्ता के हस्ताक्षर ....

प्रधानाचार्य

श्री गांधी सार्वजनिक इण्टर कालेज जैथरा (एटा)

आवश्यक सूचना

(१) जो परीक्षार्थी निःशुल्क अंकानुसन्धान के अधिकारी नहीं हैं, वे यदि चाहें तो अपनी उत्तर-पुस्तकों का अंकानुसन्धान शुल्क देकर करा सकते हैं। इसके लिये वे सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा केन्द्र-व्यवस्थापक से निर्धारित आवेदन-पत्र लेकर निर्धारित शुल्क के ट्रेजरी चालान सहित १५ जुलाई, १९८० तक परिषद कार्यालय भेजें। उक्त तिथि के पश्चात ऐसे आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायगा। यदि अंकानुसन्धान के लिए निर्धारित आवेदन पत्र उपलब्ध न हो [illegible] सादे कागज पर ही अपना पूरा विवरण देते हुए निर्धारित शुल्क के चालान के साथ १५ जुलाई १९८० तक प्रार्थना-पत्र अवश्य भेज देना चाहिए।

(२) अंकानुसन्धान के फलस्वरूप यदि किसी परीक्षार्थी का परीक्षाफल प्रभावित होता है तो उसकी सूचना यथा समय सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा केन्द्र-व्यवस्थापक को प्रेषित की जाती है, जिससे वे तुरन्त सम्बन्धित परीक्षार्थी को परिवर्तन की सूचना दे सकें। शुल्क देकर अंकानुसन्धान कराने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षाफल में यदि कोई परिवर्तन न हुआ तो इसकी सूचना उन्हें उनकी उत्तर-पुस्तकों का परिनिरीक्षण ३१ दिसम्बर के अन्त तक हो जाने के बाद ही भेजी जायेगी। इस बीच कोई पत्र व्यवहार परिषद कार्यालय से न करें क्योंकि इस सम्बन्ध में उन्हें कोई उत्तर देना सम्भव न हो सकेगा।

(३) अंकानुसंधान में अधिक समय लगने की सम्भावना है, अतः सम्बन्धित परीक्षार्थी उसके परिणाम के लिये प्रतीक्षा न करें। यदि वे संस्थागत छात्र के [illegible] करना चाहते हैं तो संबन्धित विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लें अथवा पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकारी हैं तो उसमें सम्मिलित हों [illegible] आगामी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहें तो निर्धारित तिथि तक परीक्षा-केन्द्र पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें।

(४) [illegible] प्रतिलिपि [illegible] परीक्षार्थी को पाँच रुपये शुल्क [illegible] पर तथा संस्थागत परीक्षार्थी को चार [illegible] प्रदान की जाती है। यह शुल्क उत्तर प्रदेश राजकीय कोषागार में "०७१ शिक्षा—ख माध्यमिक शिक्षा—१—ट्यूशन एवं अन्य शुल्क—(२)—बोर्ड की परीक्षायें" [illegible] मद में जाकर मूल कोष-पत्र को आवेदन-पत्र के साथ भेजें। एक बार जमा की हुई अथवा निर्धारित शुल्क से अधिक जमा की हुई धनराशि लौटाई नहीं जायेगी।

(५) वे परीक्षार्थी, जो प्रथम प्रयास में ५० प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुये हैं, राष्ट्रीय ऋण छात्रवृति (National Loan Scholarship) के अधिकारी हैं, यदि उनके माता-पिता की गतवर्ष की वार्षिक आयु ६,००० रु० से अधिक नहीं है। इसके लिए निर्धारित आवेदन-पत्र एवं नियमावली की प्रतियाँ सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती हैं। तथा कथित आवेदन-पत्र शिक्षा निदेशक कार्यालय एफ-(३) विभाग को परीक्षाफल घोषित होने अथवा [illegible] का समाचार-पत्रों में प्रकाशित और आकाशवाणी द्वारा प्रसारित होने अथवा परीक्षाफल घोषित होने के (जो भी बाद में हो) ३० दिन के भीतर पहुँचाना आवश्यक है।

(६) छात्रवृति प्रदान करने का कार्य शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा सम्पादित होता है अतः इस सम्बन्ध पत्र व्यवहार सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् से कदापि न किया जाय।

प्रधानाचार्य

क्रमांक 9-8408

क्रम-संख्या 12835

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश

इण्टरमीडिएट परीक्षा, १९८०

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी/~~परीक्षार्थिनी~~, जिसका अभिलेखानुसार विवरण निम्नवत् है, ने मार्च/अप्रैल, १९८० की इण्टरमीडिएट परीक्षा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है और × में विशेष योग्यता प्राप्त की है।

नाम उदयवीर सिंह

पिता का नाम श्री होतीलाल

विद्यालय / ~~केन्द्र~~ का नाम श्री गांधी सार्वजनिक इण्टरमीडियट कालेज जैथरा एटा

परीक्षा-विषय :

१--साहित्यिक हिन्दी/~~सामान्य हिन्दी~~

२ संस्कृत

३ भूगोल

४ अर्थशास्त्र

५ शिक्षाशास्त्र

६

इलाहाबाद :

दिनांक ५ जुलाई, १९८० ई०।

(बी० पी० खण्डेलवाल)

सचिव।